

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अप्रैल 2017—वैशाख, 7, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2017

क्र. 7002-91-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१७

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

अनुसूची संशोधन.

का

२. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) की अनुसूची में,—

(एक) मद ९६ में, शब्द "भंडार निगम" के स्थान पर, शब्द "वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन" स्थापित किए जाएं;

(दो) मद १०३ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्धविराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

१०४. मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०५. मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०६. बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०७. विन्ध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०८. महाकौशल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१०९. राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

११०. मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन सलाहकार मण्डल का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

१११. मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

११२. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष."

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2017

क्र. 7002-91-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 17 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 17 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRHATA NIVARAN
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017.**

[Received the assent of the Governor on the 24th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivaran Adhiniyam, 1967.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

Short title.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).

Amendment of Schedule.

- (i) in item 96, for the words "Warehousing Corporation", the words "Warehousing and Logistics Corporation", shall be substituted;
- (ii) in item 103, for full stop, semi-colon shall be substituted and thereafter the following items shall be added, namely:—

- "104. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Krishak Ayog;
105. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam;
106. The Chairman and Vice-Chairman of the Bundelkhand Development Authority;
107. The Chairman and Vice-Chairman of the Vindhya Development Authority;
108. The Chairman and Vice-Chairman of the Mohakoshal Development Authority;
109. The Chairman and Vice-Chairman of the Rajya Samanya Nirdhan Varg Kalyan Ayog;
110. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Vyapar Samvardhan Salahkar Mandal;
111. The Chairman and Vice-Chairman of the Machhua Kalyan Board;
112. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam."